NIC File

44252
25-10-10

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवम् समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)

क्रमांकः प. 26(2)प्र.सु./सम./अनु-1/2010 जयपुर, दिनांक 19.10.2010

1. समस्त संभागीय आयुक्त।
2. समस्त जिला कलक्टर।
3. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस।
4. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक।

परिपत्र

दिनांक 05, 06 अक्टूबर, 2010 को आयोजित जिला कलक्टर सम्मेलन में जिला कलक्टरों द्वारा अपने प्रस्तुतिकरण में सुझाए गए बिन्दुओं एवम् विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाने, प्रशासनिक कार्य एवम् सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, आमजन से प्राप्त अभाव अभियोग का त्वरित निस्तारण करने तथा अधिकारियों द्वारा सकारात्मक एवम् सार्थक निरीक्षण एवम् भ्रमण/दौरे एवम् रात्रि विश्राम सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. प्रत्येक सोमवार (यथासंभव) दौरा रहित दिवस (non turing day) होगा। इस दिन प्रत्येक अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेगा।

2. जिला कलक्टर एवम् उनके अधीनस्थ अधिकारी यथा अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार आदि प्रतिदिन अपराहन में एक घण्टा जनसुनवाई का समय सुनिश्चित करेंगे। इस दौरान कोई बैठक नहीं रखी जाएगी तथा सम्बन्धित अधिकारी अपने कार्यालय में आवश्यक रूप से उपस्थित रहें एवम् आमजन से प्राप्त अभाव अभियोग का त्वरित निस्तारण करें।

3. जिला कलेक्टर अपनी अध्यक्षता में प्रतिमाह कम-से-कम एक बार तहसील मुख्यालय अथवा गिरदावर मुख्यालय पर प्रशासनिक कैम्प का आयोजन करेंगे।

4. कैम्प के आयोजन से पूर्व उसका समुचित प्रचार-प्रसार किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि कैम्प का आयोजन पूर्णतः सादगीपूर्ण एवम् सार्थक हो।

5. ऐसे कैम्प में आमजन से सीधे जुड़ाव वाले विभाग यथा – राजस्व, पंचायतीराज, सहकारिता, कृषि, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य, महिला एवम् बाल विकास, श्रम एवम् नियोजन, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता, आयुर्वेद विभाग एवम् जिला उद्योग केन्द्र की भागीदारी सुनिश्चित की जावे।

13. आमजन तक सेवाओं की पहुँच बढ़ाने, महत्वपूर्ण कार्यों के एकल खिड़की योजना में निस्तारण को सस्ता एवम् सुगम बनाने के लिए **ई–गवर्नेन्स** के तहत राज्य के सभी 244 उपखण्ड कार्यालयों में **"ई–सुगम प्रणाली"** 01 अप्रेल 2011 से आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने इस वर्ष "ई–गवर्नेन्स एवम् नवाचारों के लिए" बजट में धन उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस संबंध में केवल 3–4 जिला कलेक्टरों के ही प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अतः समस्त जिला कलेक्टर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर, अपने प्रस्ताव इस विभाग को भिजवाएँ।

उपरोक्त समस्त बिन्दुओं पर नियमित कार्यवाही एवम् पालना की समीक्षा आने वाले समय में नियमित रूप से होने वाली **"वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग"** के माध्यम से की जावेगी।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव / उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त शासन प्रमुख सचिव / शासन सचिवगण।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. रक्षी पत्रावली।

शासन उप सचिव 19/X/10

कार्यालय जिला कलक्टर, कोटा
क्रमांक/सामान्य/10/52 44–50 दि० 4-11-2010
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1– अति० जिला कलक्टर (प्रशासन) कोटा
2– कोषाधिकारी, कोटा / मु०का० अधिकारी जिला परिषद कोटा
3– उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग कोटा
4– उप निदेशक, सामाजिक न्याय अधिकारिता वि० कोटा
5. उपखण्ड अधिकारी, कोटा / डीगोद / इटावा / सांगोद / रा०मंडी
6. प्रभारी अधिकारी राजस्व / सतर्कता / भू०अ० / पंचायत / निरीक्षण
7– अनुभाग क्लर्क, कोष / NIC
8– तहसीलदार (लाडपुरा) / डीगोद / पीपल्दा / रामगंजमंडी / सांगोद

जिला कलक्टर
कोटा